

## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2024 आवंटन निरस्त

- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| 1. राजेश माहेश्वरी पुत्र नंदलाल माहेश्वरी निवासी - पुरानी सब्जी मण्डी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ | बनाम      | 1. भैरू लाल पिता मगना जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़<br>2. जैनी बाई पत्नि भैरूलाल जाट निवासी रानीखेडा<br>3. भूराराम पिता भगवानराम जाट निवासी इन्द्रावड तहसील मेडता जिला नागौर<br>4. उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष भू-आवंटन समिति माण्डलगढ़<br>5. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा |
|  | -प्रार्थी | -विपक्षीगण  |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपरिथत -

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 01 की ओर से



### निर्णय

दिनांक 06.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन समिति माण्डलगढ़ द्वारा दिनांक 20.12.2004 को मौजा ग्राम रानीखेडा तहसील माण्डलगढ़ में बिलानाम भूमि संख्या 2804/524 वर्तमान संख्या 2926/2804 में से 1 बीघा 8 बीस्वा भूमि का आवंटन नियम विरुद्ध किया गया था। प्रार्थी ने उक्त भूमि खनन विभाग से लीज पर ले रखी है एवं उक्त भूमि पर कई वर्षों से चाईना-क्ले का खनन कार्य किया जा रहा है। इसलिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भी आवंटन समिति द्वारा नियम विरुद्ध आवंटन कर दिया गया। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं

तहत स्वीकृत की गयी। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये आवंटन के काफी वर्षों पश्चात् चाईना क्ले खदान क्षेत्र की लीज प्रार्थी को स्वीकृत हुयी। आवंटन के साथ पत्नी का नाम जमाबंदी में दर्ज किया जाना राज्य सरकार की नीति के अनुरूप है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) भू राजस्व आवंटन नियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(4) के तहत भी तथाकथित खनिज स्वीकृति से आवंटन की प्रक्रिया व प्रावधान प्रभावी नहीं हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन, बेबुनियाद होने से खारिज किया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर आर डी 2000 पेज 541, आर आर डी 1981 पेज 686, आर बी जे 2023 पेज 319, आर बी जे 2021 पेज 747, आर बी जे 2023 पेज 306 पेश किये।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति के परीक्षण से जाहिर आया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन पटवार हल्का एवं भू.अ.निरी. की रिपोर्ट के अनुसार, आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से दिनांक 20.12.2004 को विधिवत् तौर पर आवंटन किया जाना प्रकट होता है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवंटित भूमि दिनांक 31.12.2004 को आवंटि को सुपुर्द की जाना आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति से प्रकट होता है। प्रार्थी स्वयं के कथनानुसार उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार आवंटि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में इस प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रार्थी को दिनांक 20.10.2011 को खनन पट्टा खनिज चायनाक्ले क्षेत्रफल 4.56 हैक्ट. का जारी किया गया है, जबकि प्रश्नगत भूमि का आवंटन आवंटि को 20.12.2004 को ही किया जा चुका था। ऐसे में यह जाहिर होता है कि प्रार्थी अपनी स्वयं की लीज के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त कराना चाहता है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 आवंटि द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गयी, परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों



की पालना नहीं की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस-रिप्रजेन्टेशन या फ़ॉड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्ध नहीं होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव-

### आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम रानीखेडा तहसील माण्डलगढ की आराजी संख्या 2804/524 जिसके वर्तमान नम्बर 2926/2804 में से रकबा 1.08 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा